जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A3
7

अपील सूचना अधिकार संख्या 56/2017 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

11—10—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.05.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः—

> **श्रीगंगानगर रोडवेज से संचालित जिन बसो में सर्दियों के समय उपभोग होने वाली फोग लाईट नही लगायी गयी है उन रोडवेज बसो का नम्बर व जिस स्थान तक रोडवेज बस संचालित होगी उस शहर के नाम की सूचना।**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त सूचनांए लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत 25000रूपये हर्जाना कायम किया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर लोक सूचना अधिकारी से प्रतिवेदन चाहे जाने पर शाखा प्रभारी, सूचना का प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने मुख्य प्रबन्धक रोडवेज, श्रीगंगानगर को मूल अपील निस्तारण के लिए उन्हे प्रेषित कर प्रतिलिपि जरिये क्रमांक 1829 दिनांक 07.09.17 से इस कार्यालय को प्रेषित कर सूचित किया है कि अपील का संबंध रोड़वेज विभाग से है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध रोडवेज विभाग से है जिसके अपील अधिकारी निम्न हस्ताक्षरकर्ता नही है। अगर रोड़वेज विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है तो अपीलार्थी को उनके सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष ही अपील करनी चाहिए। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर यहां पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर (सर्त0) श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1902-3
23-10-17

यह आदेश आज दिनांक 11.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर